RBE NO. 155 /2003.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.E(D&A)2002/RG6-36. New Delhi, dated 2-9-2003.

The General Manager (P),
All Zonal Railways etc.

Sub: Imposition of penalties of Dismissal, Removal or Compulsory retirement on non-gazetted staff - notification of Appointing Authority.

In the PNM meeting held between the Railway Board and NFIR on 20th/21st May, 2003, the staff side pointed out that there have been cases where the authorities lower than the appointing authority have imposed the penalties of dismissal, removal or compulsory retirement, in violation of the RS(D&A) Rules. It was brought out that at present there is ambiguity in regard to the authorities specified to act as appointing authority in so far as imposition of penalties of dismissal, removal or compulsory retirement from service is concerned.

In this connection, attention is invited to Board's letter of even number dated 25.11.2002 wherein clarification have been issued regarding determination of Appointing Authority for the purpose of imposing the above referred penalties. The matter has been considered by the Board further and it has been decided that the Railway Administrations may also notify a 'Schedule of Power' which should clearly specify the Authorities authorised to make appointments in respect of each grade/category of staff. This may be done on priority basis and a copy of the order so issued may also be endorsed to this office.

(K. Biswal)
Executive Director, Estt.
Railway Board.

No. E(D&A)2002/RG6-36 New Delhi, dated 2 .9.2003

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi (with 35 spare copies).
2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi, w.r.t. Item No.36/2002 of PNM meeting (with 35 spare copies).
3. All Members, Departmental Council & National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi (with 60 spares).
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (6 copies)
5. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (6 copies).
6. The Secretary, RBSS 'Group A' Officers' Association, Room No.506, Rail Bhavan, New Delhi.
7. M/s Bahri Brothers, 742, Lajpat Rai Market, Delhi-110 006, P.O. Box No.2032.

For Secretary/Railway Board

Copy to:

Secretary, Adv.(C), JS(G), JS(E), JS, EDE(N), JDE(N)II, DS(G), DS(E)II, E(NG)II, ERB-I, ERB-D, E(O)II, E(O)I, Vig.-I, Sec(E) and E(G) Branches of Board's Office.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 155/2003

सं. ई (डी एंड ए)2002/आर जी 6-36 नई दिल्ली, दिनांक 2.9.2003

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें, आदि

विषय :- अराजपत्रित कर्मचारियों पर बरखास्तगी, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्तियां लगाना - नियुक्ति प्राधिकारी की अधिसूचना.

20/21 मई, 2003 को रेलवे बोर्ड तथा एन एफ आई आर के बीच हुई पी एन एम की बैठक में, कर्मचारी पक्ष ने उल्लेख किया था कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें नियुक्ति प्राधिकारी से निचले स्तर के प्राधिकारियों ने रेल सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम का उल्लंघन करते हुए बरखास्तगी, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्तियां लगाई है. यह उल्लेख किया गया था कि जहां तक सेवा से बरखास्तगी, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्तियां लगाए जाने का संबंध है इस समय नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्रवाई करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के संबंध में अनिश्चितता बनी हुई है.

इस संबंध में, बोर्ड के 25.11.2002 के समसंख्यक पत्र की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें उपर्युक्त शास्तियों को अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं. बोर्ड द्वारा इस मामले पर आगे विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि रेल प्रशासन 'शक्तियों की अनुसूची' भी अधिसूचित करें जिसमें कर्मचारियों के प्रत्येक ग्रेड/कोटि के संबंध में नियुक्तियां करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए. इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और इस प्रकार जारी आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित की जाए.

के. बिस्वाल
(के. बिस्वाल)
कार्यपालक निदेशक, स्था.
रेलवे बोर्ड.

...../-

ए-2

सं. ई (डी एंड ए)2002/आर जी 6-36 नई दिल्ली, दिनांक 2.7.2003

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) पी एन एम बैठक की मद संख्या 36/2002 के संबंध में
3. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यगण तथा कर्मचारी पक्ष के सचिव, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली (6 प्रतियों सहित)
5. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (6 प्रतियों सहित)
6. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप 'ए' आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 506, रेल भवन, नई दिल्ली.
7. मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपत राय मार्किट, दिल्ली-110 006, पो. बा. नं.2032.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड